राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1785/2015.. जिला : .जयपुर..........
मैसर्स कैपिटल टैन्ट एण्ड लाईट हाउस, जयपुर बनाम वाणिज्यिक अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट लीजिंग टैक्स वृत–द्वितीय,जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा,सदस्य

20.11.2015

अपीलार्थी की ओर से श्री पंकज घीया,अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वाणिज्यिक अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट लीजिंग टैक्स वृत–द्वितीय,जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24, 55 एवं 19ए के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2014 में विवादित वैट, विलम्ब शुल्क व ब्याज कुल रू. 51,75,722/– पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए रू. 51,75,722/– की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कम्पोजीशन स्कीम लेने का विकल्प दिनांक 06.04.2011 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कम्पोजीशन फीस 72,500/–विभिन्न तिथियों को तिमाही आधार पर जमा कराया है किन्तु जमा कराई गई कम्पोजीशन फीस की तिमाही किश्तें नियमानुसार जमा नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विलम्ब शुल्क के साथ ब्याज राशि जमा नहीं कराई है। कम्पोजीशन स्कीम के बिन्दु संख्या 5 में निहित शर्तो की पूर्ति पश्चात व्यवसायी द्वारा कम्पोजीशन राशि ब्याज एवं विलम्ब जमा कराने पर ही कम्पोजीशन स्कीम का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कम्पोजीशन स्कीम की शर्तो पूर्ण पर करने पर कम्पोजीशन स्कीम का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कम्पोजीशन स्कीम की शर्तो की पालना नहीं करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने कम्पोजीशन स्कीम से बाहर मानते हुए नोटिस जारी किया गया, किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उसका कोई जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण वैट, विलम्ब शुल्क एवं ब्याज का आरोपण किया है।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं अपीलार्थी की ओर से कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1497/2015 मैसर्स मोती सन्स ज्वैलर्स लि.जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर, वृत–एच,जयपुर दिनांक 05.10.2015 का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में

कम्पोजीशन राशि मय विलम्ब शुल्क के तो जमा करया गया है किन्तु विलम्ब के क्रम में ब्याज राशि जमा नहीं करवाई जाने का प्रश्न निहित है। प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 51,75,722/– को स्थगित नही करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विधिक कारण अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2015 में अंकित नहीं किया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य